न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक इटावा

पीठासीन अधिकारी – नीता वसीटा

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
169 / 2013	30.09.2010	24/7/24

बउनवान

मन्दिर मूर्ति श्री राधानागर जी महाराजा विराजन मान पीपल्दा कलॉ तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) जरिये पुजारी एवं व्यवस्थापक संरक्षक श्याम मोहन पुत्र कस्तुरचंद जाति ब्राहम्ण निवासी पीपल्दा कलां तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

वादी

वनाम

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र प्रभूलाल जातियान ब्राहम्ण निवासीगण पीपल्दा कलॉ तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र प्रभूलाल जातियान ब्राहम्ण निवासीगण पीपल्दा कलॉ तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादीगण

निर्णय

वाद अर्न्तगत धारा 188, आर.टी.एक्ट.

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पीपल्दा कलॉ तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. में मूर्ति मन्दिर श्री राधा नागर जी महाराज पीपल्दा कलॉ में विराजमान है मन्दिर मूर्ति श्री राधानागर जी महाराज के खाते मे ग्राम ख्यावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में खाता संख्या 275 मे खसरा नम्बर 387 रकबा 2.38 है. व खसरा नम्बर 760 / 1334 रकबा 1.81 है. कुल किता 2 रकबा 4.19 है. भूमि स्थित है उपरोक्त मन्दिर मूर्ति की सेवा पूजा पुजारी, संरक्षक, व्यवस्थापक, श्याम मोहन तथा उसके पहले उसके पूर्वज करते चले आ रहे है तथा मन्दिर मूर्ति की काश्त की भूमि की उपरोक्त भूमि की भी देखभाल व काश्त करते आ रहे है।

यह कि मन्दिर मूर्ति श्री राधानागर जी महाराज पीपल्दा कलॉ की वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी पर निर्वाध रूप से वादी पुजारी व्यवस्थापक, संरक्षक काश्त करते अपने पूर्वजो के समय से करते आ रहे है मन्दिर मूर्ति की पूजा पहले कस्तुरचंद जी करते थे जिन्होने 50 वर्षो तक सेवा पूजा की उनकी मृत्यु के बाद वादी पुजारी संरक्षक व्यवस्थापक श्याम मोहन करता आ रहा है। जिसका तहसील रिकार्ड मे मन्दिर मूर्ति श्री राधानागर जी महाराज मे पुजारी का नाम अंकित है प्रतिवादीगण का मन्दिर मूर्ति से तथा उनकी काश्त की भूमि से कोई लेना–देना नही है। मन्दिर मूर्ति राधानागर जी की उपरोक्त आराजी मे से खसरा नम्बर 760 / 1334 रकबा 1.81 हैक्टर आराजी को आगे वाद पत्र में विवादग्रस्त आराजी कहा गया है।

यह कि वादी ने इस वर्ष विवाद ग्रस्त आराजी मे तिल्ली की फसल की थी जो पककर कटने लायक हो चुकी है प्रतिवादीगण ने दिनांक 15.9.010 को वादी को धमकी दी कि विवादग्रस्त आराजी पर खडी फसल तिल्ली को हम काटेगे यदि वादी ने तिल्ली की फसल को

हमे नही काटने दिया तो उसे नष्ट करेगे और उक्त विवादग्रस्त आराजी पर जवरन कब्जा करेगे तथा वादी को काश्त नहीं करने देगे प्रतिवादीगण का मन्दिर मूर्ति की उक्त विवादित आराजी से लेना–देना नही है। इस वावत, वादी ने प्रतिवादीगण को समझाया तो प्रतिवादीगण नही समझे और धमकी देकर गये कि फसल तिल्ली को हम काटेगे और उपरोक्त आराजी पर जवरन कब्जा करेगे । यह कि वादी को यह कानूनी अधिकार हासिल है कि प्रतिवादीगण को विवादग्रस्त आराजी पर खडी फसल तिल्ली को काटने से रोके तथा अवैध कब्जा करने से रोके इसके लिए न्यायालय श्रीमान से प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करे। यदि प्रतिवादीगण को विवादग्रस्त आराजी पर खडी तिल्ली की फसल को काटने से तथा भूमि पर अवैध कब्जा करने से नहीं रोका गया तो वादी को अपने अधिकारो से वंचित होना पडेगा इस कारण माननीय न्यायालय में यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा का वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है

यह कि वादी ने प्रतिवादी कम 3 से भी निवेदन किया कि प्रतिवादीगण वादी की वादग्रस्त आराजी पर खडी फसल को काटने पर आमादा है तथा वाद ग्रस्त आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है तो प्रतिवादी ने कहा कि हम कुछ नही करेगे अदालत मे जाकर कार्यवाही करो। यह कि प्रतिवादी कम 3 लेण्ड होल्डर है उसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने के पूर्व 80 सी. पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन प्रतिवादी कम नम्वर 3 से कोई सहायता नही चाही गई है उसे मात्र न्यायालय के आदेश की पालना करनी है इसलिए उन्हें नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है। यह कि प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 15.9.010 को वादी की वाद ग्रस्त आराजी पर खडी फसल तिल्ली को जवरन काटने तथा वादग्रस्त भूमि पर जवरन कब्जा करने की धमकी देने के कारण तथा प्रतिवादी कम 3 द्वारा कोई कार्यवाही नही करने के कारण उत्पन्न हुआ।

वाद वकील वादी श्री मनोज शर्मा एड0 द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया गया। प्रतिवादीगण की तलवी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी कम 1 व 2 की ओर से श्री हेमन्त शर्मा एड0 ने वकालतनामा पेश किया शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में काफी अवसर देने के वाद जवाव वंद किया गया। पत्रावली में जवाव वंद है अतः तनकीयात की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली में साक्ष्यवादी पी0डव्ल्यू0 1 श्याममोहन, पी0डव्ल्यू0 2 अमित सिंह, पी0डव्ल्यू0 3 कमरूद्दीन के शपथ पत्र पेश हुए। शामिल पत्रावली किए गए। पत्रावली में वहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों में जमावंदी संवत 2066–69 के अनुसार ग्राम ख्यावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में खाता संख्या 275 मे खसरा नम्वर 387 रकवा 2.38 है. व खसरा नम्वर 760/1334 रकवा 1.81 है. कुल किता 2 रकवा 4.19 है. भूमि स्थित है। वाद पत्र में विवादित कृषि आराजी मंदिर श्री राधानागर जी महाराज पीपल्दा कलां के नाम दर्ज है। मंदिर मुर्ति शाशवत नाबालिक होने से इनके खात की आराजी को खुद कब्जा काश्त होना माना जाता है। किसी अन्य का काबिज काश्त होना साबित नहीं किया जा सकता। वादी द्वारा अपने समर्थन में बयान शपथ पत्र पेश किए गए। जिसमें वादी खुद मंदिर मूर्ति राधानागर जी महाराजा वाद पत्र जरिए पुजारी संरक्षक श्याम मोहन द्वारा पेश किया गया। जिसमें अपना स्वयं का कब्जा होना वताया गया है। बयान गवाह पी0डव्ल्यू0 2 अजीत सिंह व पी0डव्ल्यू0 3 कमरूद्दीन द्वारा पेश किए गए बयान शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया। जिन्होंने भी अपने बयानों में उक्त कृषि आराजी राधानागर जी महाराजा की होना वताया गया है। मंदिर मूर्ति की ओर से जरिए पुजारी एवं व्यवस्थापक संरक्षक श्याम मोहन पुत्र कस्तूरचंद जाति ब्रहाम्ण नि0 पीपल्दा कलां द्वारा वाद पेश किया गया जो मंदिर मूर्ति के खाते की जमीन पर कब्जे से संबंधित प्रतीत होता है। लेकिन इस न्यायालय को मंदिर मूर्ति का व्यवस्थापक, सरंक्षक व पुजारी नियुक्त किए जाने का

अधिकार नहीं है। इस हेतु सक्षम क्षेत्राधिकार के सिविल न्यायालय में वाद दायर कर पुजारी, व्यवस्थापक, संरक्षक नियुक्त होना चाहिए। वादी द्वारा वाद पत्र में इस संदर्भ में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह सावित होता हो कि वादी उक्त मंदिर का पुजारी सरंक्षक व व्यवस्थापक हो। उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद खारिज किए जाने योग्य प्रतीत होता है। अत वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/7/24 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
इटावा

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक इटावा

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी – नीता वसीटा (आर0ए0एस0)

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
169 / 2013	30.09.2010	24/7/24

बउनवान

मन्दिर मूर्ति श्री राधानागर जी महाराजा विराजन मान पीपल्दा कलॉ तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) जरिये पुजारी एवं व्यवस्थापक संरक्षक श्याम मोहन पुत्र करतुरचंद जाति ब्राहम्ण निवासी पीपल्दा कलॉ तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

वादी

वनाम

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र प्रभूलाल जातियान ब्राहम्ण निवासीगण पीपल्दा कलॉ तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र प्रभूलाल जातियान ब्राहम्ण निवासीगण पीपल्दा कलॉ तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादीगण

निर्णय

वाद अर्न्तगत धारा 188, आर.टी.एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू वहाजिरी श्री मनोज शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुददई रूवरू..... मिनजानिब मुददालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी द्वारा वाद पत्र में इस संदर्भ में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो कि वादी उक्त मंदिर का पुजारी सरंक्षक व व्यवस्थापक हो। उक्त विवचन के आधार पर वादी का वाद खारिज किए जाने योग्य प्रतीत होता है। कि अत वादी का वाद खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

डिक्री मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 24/7/24 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुददई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी।		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी।		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		

बावत इजराय हुक्तनामा			बावत इजराय हुक्तनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक इटावा